

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 2(18)नविवि/II/1994

जयपुर, दिनांक: 26 OCT 2021

आदेश

श्री ओम प्रकाश पारीक, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का विभागीय आदेश क्रमांक: प. 2(16)नविवि/II/2016 पार्ट दिनांक 04.06.2021 द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में पदस्थापन किया गया था। जिसकी अनुपालना में श्री पारीक द्वारा दिनांक 07.06.2021 को आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, जयपुर में उपस्थिति प्रस्तुत की गई।

विभागीय आदेश क्रमांक: प. 3(17)नविवि/II/2021 दिनांक 20.08.2021 द्वारा श्री पारीक की पदोन्नति मुख्य नगर नियोजक पद पर करते हुए इनका पदस्थापन मुख्य नगर नियोजक पद (एन.सी.आर.) पर किया गया। जिसकी अनुपालना में श्री पारीक द्वारा दिनांक 24.08.2021 को कार्यग्रहण किया गया।

श्री ओम प्रकाश पारीक, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक का दिनांक 07.06.2021 से दिनांक 23.08.2021 (दिनांक 21.08.2021 से दिनांक 23.08.2021 तक राजकीय अवकाश) तक को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के दौरान राजस्थान सेवा नियम 7(8) ख (iii) के अन्तर्गत कर्तव्य पर मानकर नियमित करते हुए राजस्थान सेवा नियम 25(ए) के अन्तर्गत उक्त प्रतीक्षा अवधि के वेतन भत्तों को जयपुर विकास प्राधिकरण के रिक्त पद के विरुद्ध स्वीकृत किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय